राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लाट नं. 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-4004914

क्रमांकः प.पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2020 / 07 जयपुर, दिनांकः 09/07/2020

सचिव / अध्यक्ष / निदेशक,
समस्त मान्यता प्राप्त निजी पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान,
राजस्थान

सार्वजनिक सूचना

जैसा कि आपको विदित ही है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 की धारा 28(4) के अन्तर्गत आपके पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान को कौंसिल द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की मान्यता प्रदान की गई थी।

इस संबंध में आपका ध्यान राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के Part XV Rule 53(1)A के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार उद्धरित हैं–

"***Building**: Institute shall have prefereably its own building. Whereas to start with, a rented building may be permitted for a period of maxmum 5 years on submission of a registered rent agreement.*"

इस प्रकार उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि किराये के भवन में कॉलेज / संस्थान का संचालन मान्यता प्रदान किये जाने की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक अनुमत किया जा सकता है। तदुपरान्त कॉलेज / संस्थान को उनके स्वयं के स्वामित्व के भवन में स्थानान्तरित कर वहाँ संचालित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः समस्त कॉलेज / संस्थान संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में समय रहते नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लेवें, अन्यथा मान्यता प्राप्ति के 5 वर्ष समाप्ति के उपरान्त उनके स्वयं के भवन में कॉलेज / संस्थान स्थापित नहीं होने की स्थिति में उनके कॉलेज / संस्थान की पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु कौंसिल द्वारा जारी मान्यता समाप्त किये जाने के प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

यह सार्वजनिक सूचना समस्त मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान संचालकों के हित में एतद्द्वारा जारी की जाती है।

9/7/2020
(सोमदत्त दीक्षित)
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / संस्था / 2020 / जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भिजवाकर लेख है कि इस सूचना को समस्त कॉलेजों / संस्थानों में ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें तथा विभागीय वैबसाइट पर प्रकाशित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

—//—
रजिस्ट्रार